फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	6/10/23	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में वादी अधिवक्ता उप०। पत्रावली का अवलोकन कर आदेश दिनांक 13/10/23 को पेश हो। Sd/-
	13/10/23	वादी अधि० उप०। पुनः बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी का स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर इन्द्राज रजिस्टर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। Sd/-

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमूं (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 16:03:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

बिशेष विवरण

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0/मु0) चौमूँ, जिला–जयपुर

मुकदमा नं0:–09/2023

उनवान

1. भागीरथ पुत्र गोदूराम जाति जाट निवासी प्लाट नम्बर ए–51, हनुमाननगर, सिरसी रोड, खातीपुरा जयपुर, तहसील व जिला जयपुर।
2. संतोष देवी पत्नि पवन कुमार जाति जाट निवासी ग्राम सिंगोदकलां तहसील चौमूं जिला जयपुर।

–वादीगण–

बनाम

1. जेठमल गणपतराम पैट्रोल पम्प सादुलपुर जरिये साझेदार तहसील राजगढ जिला चुरु।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौमूं तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा दुरुस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक :–13.10.2023

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम हाडोता पटवार हल्का हाडोता, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र उदयपुरिया तहसील चौमूं, जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 422/2 रकबा 0.04 हैक्टेयर, 433/2 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 436/2 रकबा 0.32 हैक्टेयर कुल किता 3 का कुल रकबा 0.50 हैक्टेयर के प्रतिवादी संख्या 1 जेठमल गणपतराम पैट्रोल पम्प सादुलपुर जरिये खातेदारी जमाबंदी सम्वत् 2060 से 2063 के अनुसार रिकॉर्डेड खातेदार दर्ज थे। उक्त भूमि में से रोड में जोने के पश्चात् शेष रही भूमि में से 0.25 हैक्टेयर अर्थात् हिस्सा 1/2 भूमि का बैचान प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 01.02.2011 को वादी संख्या 2 संतोष देवी पत्नि पवनकुमार को कर दिया, जिसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 1006 दिनांक 15.04.2011 को तस्दीक होने के पश्चात्, वादी संख्या 2 द्वारा अपने हिस्सा 1/2 में से 1/4 अर्थात् 0.1250 हैक्टेयर भूमि का बैचान जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र बीना कंवर पत्नि नरेन्द्र सिंह को कर दिया, जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1008 दिनांक 25.04.2011 को तस्दीक किया गया। खसरा नम्बर 422/2 रकबा 0.04, 433/2 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 436/2 रकबा 0.32 हैक्टेयर कुल किता 3 का कुल रकबा 0.50 हैक्टेयर में से रोड में जाने के पश्चात् शेष रही भूमि 0.10 हैक्टेयर भूमि बाबत् प्रति[illegible] 1 द्वारा नियुक्त मुख्त्यारआम अशोक पुत्र राधाकिशन द्वारा 0.05 हैक्टेयर अर्थात् [illegible] का बैचान जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 08.09.2011 को वादी संख्या 2 संतोष देवी पत्नि पवनकुमार को कर दिया, जिसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 1172 दिनांक 20.06.2012 को तस्दीक किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 16:03:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
(जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

गया। इस प्रकार से वादी संख्या 2 के हिस्से में हिस्सा 1/4 व 1/10 अर्थात् 0.1750 हैक्टेयर भूमि की खातेदार दर्ज रही। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा 0.50 हैक्टेयर भूमि में से 0.10 हैक्टेयर भूमि बाबत् तथा बीना कंवर पत्नि नरेन्द्र सिंह के द्वारा क्रय किया गया हिस्सा 1/4 अर्थात् रकबा 0.1250 हैक्टेयर बाबत् नियुक्त मुख्तआरआम अशोक कुमार पुत्र राधाकिशन द्वारा बैचान जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 18.10.2011 को 0.10 हैक्टेयर में से 0.05 हैक्टेयर तथा बीना कंवर पत्नि नरेन्द्र सिंह हिस्सा 1/4 को मायावती पत्नि श्रीचन्द हिस्सा 1/2, राजपालसिंह पुत्र मैनपालसिंह हिस्सा 1/4, अक्षय चौधरी पुत्र शीशराम चौधरी हिस्सा 1/4 अर्थात् 0.1250 कर दिया, जिसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 1171 दिनांक 20.06.2012 को तस्दीक किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2064 से 2067 में मायावती पत्नि श्रीचन्द हिस्सा 1/2, रामपालसिंह पुत्र मैनपालसिंह हिस्सा 1/4, अक्षय चौधरी पुत्र शीशराम चौधरी हिस्सा 1/4 दर हिस्सा 7/20 की खातेदारी दर्ज होने के पश्चात् दिनांक 29.04.2013 को सम्पूर्ण हिस्से को बैचान जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र वादी भागीरथ पुनियां पुत्र गोदूराम को कर दिया, जिसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 1354 दिनांक 20.06.2013 को तस्दीक किया गया। इस प्रकार वादी संख्या 1 हिस्सा 7/20 अर्थात् 0.1750 हैक्टेयर भूमि का खातेदार दर्ज हो गया। उक्त भूमि खसरा नम्बर 422/2, 433/2, 436/2 कुल किता 3 का कुल रकबा 0.50 हैक्टेयर जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 मे वादी संख्या 1 हिस्सा 7/20 अर्थात् 0.1750 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 1 हिस्सा 3/10 अर्थात् 0.15 हैक्टेयर तथा वादी संख्या 2 हिस्सा 7/20 अर्थात् 0.1750 हैक्टेयर भूमि के खातेदारी अंकित रही, तथा खसरा नम्बर 422/2 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 436/2 रकबा 0.32 हैक्टेयर भूमि मे से 0.15 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जे में रही है। खसरा नम्बर 436/2 रकबा 0.32 हैक्टेयर भूमि में से 0.15 हैक्टेयर भूमि सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 (जयपुर–रींगस) अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 66/2010 दिनांक 08.08.2011 को 0.08 हैक्टेयर भूमि तथा प्रकरण संख्या 84/2011 द्वारा 0.07 हैक्टेयर भूमि अर्थात् 0.15 हैक्टेयर भूमि अवाप्त की गई, जिसका सम्पूर्ण मुआवजा राशि प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्राप्त किया गया, उसके उपरान्त नामान्तकरण संख्या 1392 दिनांक 19.08.2013 को तस्दीक हुआ, जिसके आधार खसरा नम्बर 436/2 रकबा 0.32 हैक्टेयर में से खसरा नम्बर 436/2/2 रकबा 0.08 हैक्टेयर भूमि भारत सरकार सडक परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के नाम अंकित की गई तथा खसरा नम्बर 436/2/1 रकबा 0.24 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 हिस्सा 1/15 वादी संख्या 2 हिस्सा 7/15 वादी संख्या 1 हिस्सा 7/15 अंकित किया, तथा नामान्तकरण संख्या 1807 दिनांक 14.03.2017 को तस्दीक हुआ, जिसके आधार पर खसरा नम्बर 436/2/1 रकबा 0.24 हैक्टेयर में से खसरा नम्बर 436/2/3 रकबा 0.07 हैक्टेयर भूमि भारत सरकार सडक परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के नाम अंकित की गई तथा खसरा नम्बर 436/2/1 रकबा 0.17 हैक्टेयर भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 16:03:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कर्मचारी (फास्ट ट्रेक) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादी संख्या 1 हिस्सा 1/15, वादी संख्या 2 हिस्सा 7/15, वादी संख्या 1 हिस्सा 7/15 अंकित किया, जबकि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा 0.50 हैक्टेयर में से 0.35 हैक्टेयर भूमि का बैचान करने के पश्चात् शेष बची 0.15 हैक्टेयी भूमि सड़क में अवाप्त करने तथा मुआवजा राशि सम्पूर्ण 0.15 हैक्टेयर की प्रतिवादी संख्या 1 ने प्राप्त करने के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 का कोई हिस्सा बचना ही नही हैं। खसरा नम्बर 423/2/1 रकबा 0.17 हैक्टेयर के स्थान पर शुद्वि पत्र संख्या 14 दिनांक 11.12.2017 के द्वारा खसरा नम्बर 436/2/1 के स्थान पर खसरा नम्बर 2656/436 शुद्ध किया गया, उसके उपरान्त जमाबंदी सम्वत् 2072 से 2075 में वर्णित खसरा नम्बर 2656/436 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 422/2 रकबा 0.04 हैक्टेयर, 433/2 रकबा 0.14 हैक्टेयर कुल किता 3 का कुल रकबा 0.35 हैक्टेयर मे वादी संख्या 1 हिस्सा 7/15 तथा वादी संख्या 2 हिस्सा 7/15 के साथ प्रतिवादी संख्या 1 हिस्सा 1/15 गलत रुप से अंकित कर दिया गया। खसरा नम्बर 2656/436 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 422/2 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 433/2 रकबा 0.14 हैक्टेयर कुल किता 3 का कुल रकबा 0.35 हैक्टेयर भूमि विवादग्रस्त है। वादी संख्या 1 द्वारा 0.1750 हैक्टेयर भूमि एवं वादी संख्या 2 द्वारा 0.1750 हैक्टेयर भूमि क्रय करने के दिन से काबिज काश्त चले आ रहे है। राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी वादी को पूर्व में कभी नही रही, अभी वर्तमान में जमाबंदी की नकल लेने पर जानकारी हुई कि विवादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/15 अंकित चला आ रहा है, जिस पर दिनांक 08.08.2022 को एक आवेदन पत्र तहसीलदार चौमूं को राजस्व में हिस्सा दुरुस्त करने बाबत् प्रस्तुत किया, उक्त विवादग्रस्त भूमि बाबत् सम्पूर्ण राजस्व रिकॉर्ड की नकल प्राप्त की जिसकी घोषणा एवं दुरुस्ती बाबत् वादीगण को प्रतिवादीगण के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ।

वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निम्न अनुतोष चाहा है कि वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2656/436 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 422/2 रकबा 0.04 हैक्टेयर, 433/2 रकबा 0.14 हैक्टेयर कुल किता 3 का कुल रकबा 0.35 हैक्टेयर भूमि स्थित वाके ग्राम हाडोता तहसील चौमूं, जिला जयपुर में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ किया जाकर इसी अनुसार दुरुस्ती की जाकर वादी संख्या 1 हिस्सा 1/2 एवं वादी संख्या 2 को हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज हेतु तहसीलदार को आदेश फरमाया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 को स्था[illegible] से प्रतिबंधित किया जावे कि भूमि विवादग्रस्त में वादी के कब्जे काश्त में किसी [illegible] मुदाखलत नहीं करें ना ही करावे तथा वादी के कब्जे काश्त में [illegible] अन्य अनुतोष माननीय न्यायालय उचित समझे धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वादी को दिलवाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 16:03:29 IST
Reason: Self Attested

Scanned with OKEN Scanner

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी बावजूद तामिल अनुपस्थित अतः दिनांक 25.08.2023 को इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में प्रदर्श संख्या 1 से प्रदर्श संख्या 15 तथा साक्ष्य के रुप में साक्ष्य शपथ–पत्र PW1 भागीरथ पुत्र गोदूराम, PW2 संतोष देवी पत्नि पवनकुमार के पेश किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

प्रकरण में वकील वादी की बहस सुनी गई। बहस मे वकील वादी ने उन्ही तथ्यों को दोहराया जोकि वाद पत्र में अंकित है। प्रकरण में वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, साक्ष्य शपथ पत्र का बगौर अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। उपरोक्त विवेचनानुसार एवं न्यायालय अभिमत में वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। अतः वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2656/436 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 422/2 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 433/2 रकबा 0.14 हैक्टेयर कुल किता 3 का कुल रकबा 0.35 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम हाडोता, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ किया जाकर इसी अनुसार दुरुस्ती की जाकर वादी संख्या 1 हिस्सा 1/2 एवं वादी संख्या 2 को हिस्सा 1/2 का खातेदारी काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार इन्द्राज दुरुस्ती किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 13.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुल न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फा0ट्रै0)चौमूँ
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)
चौमूं (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 16:03:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा सं0–09 / 2023
उनवान– भागीरथ बनाम जेठमल गणपतराम पेट्रोल पम्प
निर्णय दिनांक– 13.10.2023

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– रतन कौर(R.A.S.)

मुकदमा नं0:–09/2023

उनवान

1. भागीरथ पुत्र गोदूराम जाति जाट निवासी प्लाट नम्बर ए–51, हनुमाननगर, सिरसी रोड, खातीपुरा जयपुर, तहसील व जिला जयपुर।
2. संतोष देवी पत्नि पवन कुमार जाति जाट निवासी ग्राम सिंगोदकलां तहसील चौमूं जिला जयपुर।

–वादीगण–

बनाम

1. जेठमल गणपतराम पैट्रोल पम्प सादुलपुर जरिये साझेदार तहसील राजगढ जिला चुरु।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौमूं तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा दुरुस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू रतन कौर आरएएस मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

आराजी खसरा नम्बर 2656 / 436 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 422 / 2 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 433 / 2 रकबा 0.14 हैक्टेयर कुल किता 3 का कुल रकबा 0.35 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम हाडोता, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ किया जाकर इसी अनुसार दुरुस्ती की जाकर वादी संख्या 1 हिस्सा 1 / 2 एवं वादी संख्या 2 को हिस्सा 1 / 2 का खातेदारी काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार इन्द्राज दुरुस्ती किया जावे ।

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 13.10.2023 को जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 16:03:29 IST
Reason: SelfAttested

मोहर

दस्तखत ....

ओहदा...........

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूँ (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा सं0–09/2023
उनवान– भागीरथ बनाम जेठमल गणपतराम पेट्रोल पम्प
निर्णय दिनांक– 13.10.2023

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	2 1	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	0
जोड़	3	जोड़	0

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूं (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 16:03:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner